

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

...:अधिसूचना:-

संख्या : एफ.1(14)(1)साशा/वित्त/2023-26

जयपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2026

सदन द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के क्रम में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1) तथा 233 खा(1) के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर जनलेखा समिति 2026-27, प्राक्कलन समिति "क", 2026-27, प्राक्कलन समिति "ख", 2026-27 एवं राजकीय उपक्रम समिति 2026-27 का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथा सम्भव पूर्ति करते हुए माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन किया है :-

जनलेखा समिति

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | पद |
|---------|--------------------------------|-------|
| 1. | श्री टीकाराम जूली (71) | सदस्य |
| 2. | श्रीमती अनिता भदेल (4) | सदस्य |
| 3. | श्री अर्जुन लाल जीनगर (13) | सदस्य |
| 4. | श्री प्रमोद जैन "भाया" (26) | सदस्य |
| 5. | डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (155) | सदस्य |
| 6. | श्री अजय सिंह (2) | सदस्य |
| 7. | श्री रामकेश (133) | सदस्य |
| 8. | श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (51) | सदस्य |
| 9. | डॉ. सुरेश धाकड़ (182) | सदस्य |
| 10. | श्री रफीक खान (123) | सदस्य |
| 11. | श्री रोहित बौहरा (139) | सदस्य |
| 12. | श्री गुरवीर सिंह (42) | सदस्य |
| 13. | श्री गोपाल शर्मा (45) | सदस्य |

प्राक्कलन समिति "क"

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | पद |
|---------|----------------------------------|-------|
| 1. | श्री संदीप शर्मा (172) | सदस्य |
| 2. | श्री प्रताप सिंह सिंघवी (94) | सदस्य |
| 3. | श्री शान्ती धारीवाल (161) | सदस्य |
| 4. | श्री समाराम (175) | सदस्य |
| 5. | श्री हरेन्द्र मिर्धा (196) | सदस्य |
| 6. | श्री छोटूसिंह (55) | सदस्य |
| 7. | श्री अर्जुन लाल (12) | सदस्य |
| 8. | श्री जीवाराम चौधरी (64) | सदस्य |
| 9. | श्री सुरेश मोदी (183) | सदस्य |
| 10. | श्री अमित चाचाण (8) | सदस्य |
| 11. | श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (113) | सदस्य |
| 12. | श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (156) | सदस्य |

Bhama
08/4/2026

प्राक्कलन समिति "ख"

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | पद |
|---------|----------------------------------|-------|
| 1. | श्री बाबूसिंह राठौड़ (101) | सदस्य |
| 2. | श्री पुष्पेन्द्र सिंह (90) | सदस्य |
| 3. | श्री शंकरसिंह रावत (159) | सदस्य |
| 4. | श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (49) | सदस्य |
| 5. | श्री हमीर सिंह भायल (190) | सदस्य |
| 6. | श्री पब्बाराम विश्णोई (87) | सदस्य |
| 7. | श्री समरजीत सिंह (174) | सदस्य |
| 8. | श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (112) | सदस्य |
| 9. | श्री अमीन कागजी (9) | सदस्य |
| 10. | डॉ. सुभाष गर्ग (178) | सदस्य |
| 11. | श्री अरुण चौधरी (11) | सदस्य |

राजकीय उपक्रम समिति

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | पद |
|---------|----------------------------|-------|
| 1. | श्री कालीचरण सराफ (30) | सदस्य |
| 2. | डॉ. दयाराम परमार (76) | सदस्य |
| 3. | श्री श्रवण कुमार (167) | सदस्य |
| 4. | श्री संजीव कुमार (171) | सदस्य |
| 5. | श्री हरिमोहन शर्मा (192) | सदस्य |
| 6. | कुमारी रीटा चौधरी (138) | सदस्य |
| 7. | श्री यूनूस खान (121) | सदस्य |
| 8. | श्री गोपाल लाल शर्मा (44) | सदस्य |
| 9. | श्री शत्रुघन गौतम (160) | सदस्य |
| 10. | श्री गोरधन (47) | सदस्य |
| 11. | श्री ललित मीना (142) | सदस्य |
| 12. | श्री अनिल कुमार शर्मा (05) | सदस्य |
| 13. | डॉ. शैलेश सिंह (164) | सदस्य |

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 183(1) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री टीकाराम जूली (71) को जनलेखा समिति, 2026-27 का सभापति, श्री संदीप शर्मा (172) को प्राक्कलन समिति "क", 2026-27 का सभापति, श्री बाबूसिंह राठौड़ (101) को प्राक्कलन समिति "ख", 2026-27 का सभापति एवं श्री कालीचरण सराफ (30) को राजकीय उपक्रम समिति, 2026-27 का सभापति नियुक्त किया गया है।

इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक होगा।

आज्ञा से,
Bhanel
 08/14/2026
 (भारत भूषण शर्मा)
 प्रमुख सचिव


राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या : एफ.1(14)(1)साशा/विस्स/2023-26/11173-472

जयपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, 48, सिविल लाईन्स, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा. सरकारी मुख्य सचेतक/ मा. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
10. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, आकाशवाणी, पार्क हाउस, जयपुर।
12. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, झालाना बूंगरी, जयपुर।
13. आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निजी सचिव, विस्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
15. निजी सचिव/ अतिरिक्त निजी सचिव /निजी सहायक, समस्त वरिष्ठ उप सचिव/ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
16. मुख्य सम्पादक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
17. उप सचिव(लेखा एवं प्राक्कलन) एवं नोडल ऑफिसर(ई-गजटिंग), राजस्थान विधान सभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर, जिस अंक में यह प्रकाशित हो, उसकी पाँच अतिरिक्त प्रतियां अभिलेख के लिए भिजवाने की व्यवस्था करें।
18. प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
19. मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
20. उप निदेशक(जन सम्पर्क), राजस्थान विधान सभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
21. सहायक सचिव, जनलेखा समिति/ प्राक्कलन समिति "क" एवं "ख"/ राजकीय उपक्रम समिति, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
22. समस्त सहायक सचिव/ शाखाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
23. पुस्तकालय अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।


08/4/26
(इन्द्रा शर्मा)

उप सचिव (सामान्य)